छत्तीसगढ़ विधान सभा

अगस्त, 2020 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 28 अगस्त,2020 (भाद्रपद 6, 1942)

समय 11:00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकतः वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2018–19 के वित्त लेखे खण्ड–1 एवं खण्ड–2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन पटल पर रखेंगे।

(2) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 01) पटल पर रखेंगे।

(3) श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखा परीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 02) पटल पर रखेंगे।

(4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17 सन् 1961) की धारा 95 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 15–25/15–2/2020/2, दिनांक 17 अगस्त, 2020 पटल पर रखेंगे।

(5) श्री मोहम्मद अकबर, वन मंत्री, कंपनी अधिनियम, 2013 (क्रमांक 18 सन् 2013) की धारा 395 की उपधारा (1) के पद (बी) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2018–2019 पटल पर रखेंगे।

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) डॉ. रेणु अजीत जोगी, श्री शैलेष पाण्डेय, सदस्य, बिलासपुर जिले के बेलगहना क्षेत्र अंतर्गत चाटापारा एनीकट निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(2) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, नारायण चंदेल, धरमलाल कौशिक, सदस्य, प्रदेश में रेत का अवैध उत्खनन होने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 2

(3) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र में अवैध गुटखा बिक्री किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(4) सर्वश्री बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा, सदस्य, प्रदेश में अवैध शराब की बिक्री किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(5) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, जिला कोरिया में दवाईयां खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(6) श्री देवव्रत सिंह, सदस्य, जिला–राजनांदगांव के वाणिज्यिक कर (जीएसटी) विभाग को विभिन्न विभागों द्वारा ठेकेदारों से जीएसटी की राशि प्राप्त नहीं करने की शिकायत के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(7) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में कोरोना (कोविड–19) के प्रभाव के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(8) श्री धरमलाल कौशिक, डॉ. रमन सिंह, श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, कोण्डागांव जिले में निःशुल्क खनन किये जाने वाले हैण्डपम्प रिपेयरिंग के कार्य की ग्राम पंचायतों से अवैध वसूली किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(9) सर्वश्री अजय चन्द्राकर, शिवरतन शर्मा, नारायण चंदेल, सदस्य, बीजापुर जिले के आदेड़ गांव निवासी 12 वर्षीय बालिका की भूख से मौत होने की ओर श्रम मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(10) श्री संतराम नेताम, सदस्य, प्रदेश में छत्तीसगढ़ राज्य बीज कृषि विकास निगम लिमिटेड द्वारा गुणवत्ताविहीन मलचिंग शीट खरीदी किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(11) श्री संतराम नेताम, सदस्य, प्रदेश में समग्र शिक्षा अभियान की राशि का गबन किये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(12) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, प्रदेश में किसानों को डुप्लीकेट कीटनाशक दवा अधिक मूल्यों में बिक्री किये जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(13) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, प्रदेश में प्लेसमेंट कम्पनी अलट कमांडो द्वारा शराब बिक्री के पैसे को सरकारी खजाने में जमा करने में अनियमितता किये जाने की ओर वाणिज्यिक कर (आबकारी) मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(14) श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य, एस.ई.सी.एल. के चिरमिरी क्षेत्र में संचालित डिस्पेंसरी व अस्पतालों के मापदण्डों को पूरा किये बगैर संचालित किये जाने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(15) सर्वश्री सौरभ सिंह, धरमलाल कौशिक, लालजीत सिंह राठिया, सदस्य, प्रदेश के विभिन्न विभागों में डी.पी.सी. होने के बाद भी पदोन्नति आदेश जारी नहीं किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(16) श्री सत्यनारायण शर्मा, सदस्य, जिला कोरिया में कुक्कुट आहार खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर पशुधन विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(17) श्री बृहस्पत सिंह, सदस्य, प्रदेश में उद्योग स्थापित करने हेतु उद्यमियों का आकांक्षा पंजीयन नहीं हो पाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

क्रमशः 3

(18) श्री बघेल लखेश्वर, सदस्य, बस्तर क्षेत्र में शालाओं के भवन जर्जर होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(19) डॉ. रेणु अजीत जोगी, सदस्य, प्रदेश में बस संचालकों की समस्या का निराकरण नहीं होने की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(20) श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में तेंदूपत्ता संग्राहकों का बीमा नवीनीकरण नहीं हो पाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(21) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, अचानकमार टाईगर रिजर्व क्षेत्र वनग्रामों के आदिवासियों को धमकाये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(22) डॉ. प्रीतम राम, सदस्य, प्रदेश में कार्यरत विद्या मितान (अतिथि शिक्षक) को वेतन न मिलने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(23) श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य, सिम्स बिलासपुर में चिकित्सकों की कमी होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(24) श्री दलेश्वर साहू, सदस्य, प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती समय पर न होने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

(25) श्री आशीष कुमार छाबड़ा, सदस्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर में गर्भवती महिला की इलाज के अभाव में मृत्यु होने की ओर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

4. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्य, धमतरी विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत –

(i) ग्राम मोगरागहन (डु) में हाईस्कूल भवन निर्माण करने,

(ii) गोकुलपुर वार्ड धमतरी में हायर सेकेण्डरी स्कूल भवन निर्माण करने,

(iii) ग्राम सांकरा–पीपरछेड़ी–कंडेल मार्ग में ग्राम पीपरछेड़ी के पास पुल निर्माण करने,

(iv) ग्राम शंकरदाह से बलियारा मार्ग में रपटा के ऊपर पुलिया निर्माण करने,

(v) ग्राम रांवा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने,

(vi) ग्राम देमार से परेवाडीह मार्ग पर स्थित पुल का पुनर्निर्माण करने,

(vii) ग्राम डाही से डांडेसरा मार्ग पर पुलिया निर्माण करने तथा

(2) श्रीमती इंदू बंजारे, सदस्य, पामगढ़ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत भिलौनी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने **के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगी।**

5. शासकीय विधि विषयक कार्य

निर्धारित समय 15 मिनट

(1) श्री मोहम्मद अकबर, आवास एवं पर्यावरण मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ भाड़ा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 17 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 4

निर्धारित समय

15 मिनट (2) डॉ. शिवकुमार डहरिया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि–छत्तीसगढ़ नगर पालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 18 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (3) श्री रविन्द्र चौबे, संसदीय कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विधान सभा सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 19 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

30 मिनट (4) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, सहकारिता मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 20 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

1 घंटा (5) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, स्कूल शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ अशासकीय विद्यालय फीस विनियमन विधेयक, 2020 (क्रमांक 21 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (6) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 22 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (7) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम,आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 23 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (8) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 24 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (9) डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम, आदिम जाति विकास मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 25 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

क्रमशः 5

निर्धारित समय

15 मिनट (10) श्री टी.एस. सिंहदेव, वाणिज्यिक कर (जीएसटी) मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक,2020 (क्रमांक 26 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

15 मिनट (11) श्री उमेश पटेल,उच्च शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि– छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 27 सन् 2020) पर विचार किया जाये।

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये।

6. शासकीय संकल्प

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

1 घंटा "यह सदन, केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि संविधान के अनुच्छेद 344 (1) और अनुच्छेद 351 से सहपठित आठवीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी भाषा को सम्मिलित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करे।"

7. नियम 139 के अधीन लोक महत्व के विषय पर चर्चा

1 घंटा 30 मिनट छत्तीसगढ़ के स्कूल/महाविद्यालय शिक्षा व्यवस्था में कोरोना (कोविड–19) से उत्पन्न स्थिति पर श्री अजय चंद्राकर, सदस्य, चर्चा उठायेंगे।

8. अशासकीय संकल्प

1 घंटा 30 मिनट (1) श्री अजय चन्द्राकर, सदस्य, निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "कृषि खाद कीटनाशक का किसानों/सोसायटी एवं अन्य आपूर्तिकर्ता संस्थाओं को आपूर्ति करने के पूर्व गुणवत्ता का लैब टेस्ट अनिवार्य किया जाये तथा कृषि हाइब्रिड बीज की आपूर्ति के पूर्व शासन से मान्यता प्राप्त संस्था से डी.एन.ए. D.N.A. टेस्ट अनिवार्य किया जाय।"

1 घंटा (2) श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य,निम्नलिखित, संकल्प प्रस्तुत करेंगे :–

सदन का यह मत है कि "छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला मुख्यालय में शासकीय ब्लड बैंक की स्थापना की जाय।"

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा.

रायपुर,
दिनांक 27 अगस्त,2020